हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 116

सोमवार, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 2.00 बजे (अपराह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक के प्रारम्भ होते ही डॉ0 राजीव बिन्दल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह चिन्ता का विषय है कि अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले सप्ताह से हम लगातार प्रोटैस्ट कर रहे हैं, नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हमें चर्चा एलॉ की जानी चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री पर गम्भीर आरोप लगे हैं, हर रोज़ समाचार पत्रों में उनके खिलाफ समाचार आ रहे हैं। श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार में Crisis of Confidence पैदा हो गया है तथा इस विषय पर चर्चा करना अति आवश्यक है।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा :-

> **"मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मामला कोर्ट में पैंडिंग है, Subjudice है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। Let the Law take its own course. आप कृपया सदन की कार्यवाही में भाग लें।"**

02.12 PM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 3164, 3165, 3167, 3168, 3170, 3172, 3174, 3178 तथा 3180 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3185 का उत्तर सम्बन्धित मंत्री द्वारा दिया गया। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3159 से 3163, 3166, 3169, 3171, 3173, 3175 से 3177, 3179, 3181 से 3184 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3186 से 3190 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(**अपराह्न 2.30 बजे विपक्ष ने सदन से वॉक आऊट किया**)

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1324 तथा 1325 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

03-00 PM

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 4 अप्रैल, 2016 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. **कागज़ात सभा पटल पर :**

(1) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः यु00डी0-ए(3)-7/2011-II दिनांक 11.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2016 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःयु0डी0-ए(3)-7/2011-I दिनांक 02.09.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.09.2015 को प्रकाशित।

(2) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(अपराह्न 3.05 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए)

4. **<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः</u>**

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

"हाल ही में मण्डी ज़िला के जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों द्वारा 250 लोगों को काटने तथा रेबीज़ (Rabies) से हुई व्यक्ति की "मृत्यु" से उत्पन्न स्थिति।"

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने उत्तर दिया।

5. **विधायी कार्यः**

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

03-35 PM

5. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः**

श्री महेश्वर सिंह ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

"प्रदेश में विपणन बोर्ड की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने तथा सब्ज़ी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की नीति पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

(1) श्री सुरेश भारद्वाज

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री महेश्वर सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।
माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने उत्तर दिया।
माननीय मुख्य मन्त्री ने हस्तक्षेप किया।

(सदन की बैठक सांय 4.30 बजे मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)